



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042026-271571
CG-DL-E-04042026-271571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1652]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1652]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

सं. 70/2025-2026

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के लिए आयात अवधि को बढ़ाने के संबंध में।

का.आ. 1717(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, और दिनांक 08.12.2023 की अधिसूचना सं. 50/2023, दिनांक 23.02.2024 की अधिसूचना संख्या 61/2023, दिनांक 05.04.2024 की अधिसूचना संख्या 04/2023, दिनांक 08.05.2024 की अधिसूचना सं. 12/2024-25, दिनांक 13.09.2024 की अधिसूचना संख्या 29/2024-25, दिनांक 24.12.2024 की अधिसूचना संख्या 43/2024-25 और दिनांक 10.03.2025 की अधिसूचना संख्या 63/2024-25 और दिनांक 31.05.2025 की अधिसूचना सं. 16/2025-26 के क्रम में, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए मौजूदा आयात नीतिगत शर्त, जो कि

दिनांक 31 मार्च, 2026 तक वैध है, को दिनांक 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाती है। अन्य सभी नियम और शर्तें उपर्युक्त संदर्भित अधिसूचनाओं के अनुसार यथावत रहेंगे।

अधिसूचना का प्रभाव:

आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर का आयात एमआइपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना सभी आयात खेप, जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक 31 मार्च, 2027 को या उससे पहले तत्काल प्रभाव से आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अध्यक्षीन 'मुक्त' है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-VI/E-9019]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2026

No. 70/2025-26

Subject: Extension in Import Period for Yellow Peas under ITC (HS) Code 07131010 of Chapter 07 of ITC (HS) 2022, Schedule -I (Import Policy)-reg.

S.O. 1717(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, and in continuation to Notification Nos. 50/2023 dated 08.12.2023, 61/2023 dated 23.02.2024, 04/2023 dated 05.04.2024, 12/2024-25 dated 08.05.2024, 29/2024-25 dated 13.09.2024, 43/2024-25 dated 24/12/2024, 63/2024-25 dated 10.03.2025 and 16/2025-26 dated 31.05.2025, the Central Government hereby extends the current Import Policy Condition for Yellow Peas under ITC(HS) Code 07131010 of Chapter 07 of ITC(HS), 2022, Schedule -I (Import Policy), which is valid till 31st March, 2026, **upto 31st March, 2027**. All other terms and conditions remain the same as in the above-referred Notifications.

Effect of the Notification:

Import of Yellow Peas under ITC (HS) Code 07131010 is "Free" without the MIP condition and without Port Restriction, subject to the registration under online Import Monitoring System, with immediate effect, for all import consignments where Bill of Lading (Shipped on Board) is issued **on or before 31st March 2027**.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-VI/E-9019]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.